IMMEDIATE/DATE BOUND

From

Director Higher Education, Haryana,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

To

1. The Registrars of All State Universities in the State of Haryana
2. The Principals of Govt. Colleges in the State of Haryana
3. The Principals of Govt. Aided Colleges in the State of Haryana
4. The Principals of Self Finance Colleges in the State of Haryana

Memo No. DHE-09/24/2022-Coordination-DHE
Dated Panchkula, the 07-11-2022

Subject:- माननीय गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री महोदय, हरियाणा सरकार के आदेशानुसार आयुष योग सहायकों की कार्य पद्धति एवं योग–व्यायामशालाओं से संबंधित दिशा–निर्देश जारी करने बारे।

******

Kindly refer to the subject cited above.

A copy of the letter no. HYA/HRY/2022/1491 Dated 21.10.2022 (enclosed) received Registrar, Haryana Yog Aayog is hereby sent to you information and necessary action.

Encl. As above.

Superintendent Co-ordination
for Director Higher Education,
Haryana, Panchkula

Haryana Yog Aayog, Govt. of Haryana

(Under the aegis of Department of Health, Family Welfare and AYUSH, Haryana)
Office:, campus of Directorate AYUSH Bhawan, Near Youth Hostel, Sector-3, Panchkula-134109 (Haryana)
Email: haryanayogaayog@gmail.com, registrar-hryc@gov.in Phone: 0172-2930301

सेवा में

माननीय निदेशक महोदय,
उच्चतर शिक्षा विभाग,
पंचकूला, हरियाणा।

पत्र क्रमांक : एच0वाई0ए0 / एच0आर0वाई0 / 2022 / 1491 दिनांकः 21 / 10 / 2022

विषय – **माननीय गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री महोदय, हरियाणा सरकार के आदेशानुसार आयुष योग सहायकों की कार्य पद्धति एवं योग–व्यायामशालाओं से संबंधित दिशा–निर्देश (Advisory) जारी करने बारे।**

महोदय!

जैसा कि आपको विदित है कि माननीय गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री महोदय कि बैठक 14.10.2022 को आयोजित हुई थी, जिसमें माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग, डॉ0 जी निरूपमा जी तथा माननीय महानिदेशक महोदय, आयुष विभाग, डॉ0 साकेत कुमार जी के साथ हरियाणा योग आयोग के चेयरमेन महोदय, डॉ0 जयदीप आर्य जी एवं उपाध्यक्ष महोदय, डॉ0 रोशनलाल जी एवं सभी गैर–सरकारी नव–नियुक्त सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आयुष योग सहायकों हेतु दिशा–निर्देश (Advisory) जारी किये जाएं। अतः निर्णयानुसार आपको **Advisory** जारी की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इसका संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी करें एवं कृपया उसकी सूचना आयुष विभाग एवं हरियाणा योग आयोग को देकर कृतार्थ करें।

आभार सहित!

रजिस्ट्रार
हरियाणा योग आयोग

पृ0 कमांक : एच0वाई0ए0 / एच0आर0वाई0 / 2022 / 1492 दिनांकः 21 / 10 / 2022

इसकी एक प्रति हरियाणा राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

रजिस्ट्रार
हरियाणा योग आयोग

DGHE & Secy.
DIARY No. 7532
Date 26/10/22

Haryana Yog Aayog, Govt. of Haryana

(Under the aegis of Department of Health, Family Welfare and AYUSH, Haryana)

Office:, campus of Directorate AYUSH Bhawan, Near Youth Hostel, Sector-3, Panchkula-134109 (Haryana)

Email: haryanayogaayog@gmail.com, registrar-hryc@gov.in Phone: 0172-2930301

आयुष योग सहायकों हेतु दिशा–निर्देश (ADVISORY)

हरियाणा योग आयोग की बैठक दिनांक 14.10.2022 में माननीय गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री महोदय, हरियाणा सरकार के आदेशानुसार आयुष योग सहायकों की कार्य पद्धति एवं योग–व्यायामशालाओं से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं पर दिशा–निर्देश **(Advisory)** जारी किए जा रहे हैं। सभी संबंधित इसका संज्ञान लेवें एवं अक्षरक्षः पालन करें।

1. आयुष योग सहायक की कक्षा में प्रतिदिन न्यूनतम 50 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य हों, इस निमित्त **"आयुष योग सहायक"** जहां पर डिप्लोएड हैं वहां निकटवर्ती गांवों में व्यक्तिगत संपर्क अभियान चलाएं और गांव वालों को योग कक्षा में आने के लिए प्रेरित करें।

2. यदि प्रातःकाल की योग कक्षा योग–व्यायामशाला में लगती है और वह गांवों से दूर है या किसी अन्य कारण से महिलाओं और बच्चों का वहां आना संभव नहीं हो पा रहा है तो सायंकालीन कक्षा चौपाल या पंचायत घर/उपयुक्त स्थान पर लगाई जाए, जहां न्यूनतम 50 लोगों की उपस्थिति हो।

3. वर्तमान में आयुष योग सहायकों का 2 घंटे सुबह एवं 2 घंटे सांय "योग–व्यायामशाला" में कार्य निर्धारित किया गया है तथा अन्य समय में **PHC/Wellness Centre/Dispensary** इत्यादि में, परन्तु योग–व्यायामशाला से यदि **PHC/Wellness Centre/Dispensary** 10 KM से अधिक दूरी पर स्थित हों, तो आयुष योग सहायक निकटवर्ती हरियाणा शिक्षा विभाग के माध्यमिक विद्यालय इत्यादि में शिक्षण–प्रशिक्षण का कार्य करें।

4. आयुष योग सहायक अपनी रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें, रिपोर्ट में योग साधकों के नाम, पते का विवरण एवं उनकी उपस्थिति इत्यादि एक उपस्थिति रजिस्टर (Attendance) में दर्ज करें एवं दैनिक साधक संख्या का विवरण जिला आयुर्वेदिक अधिकारी के माध्यम से आयुष विभाग, हरियाणा और हरियाणा योग आयोग एवं जिला उपायुक्त महोदय को संप्रेषित करें। अधिकारी/निरीक्षक गण उस रिपोर्ट एवं रजिस्टर का अवलोकन करें एवं अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें तथा समय–समय पर की गई कार्यवाही से हरियाणा योग आयोग को भी अवगत करवाने का कष्ट करें।

रजिस्ट्रार
हरियाणा योग आयोग